

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW)

ईओडब्ल्यू भवन चिरहुला मंदिर रोड पुलिस लाइन रीवा(म.प्र.)

सेकण्ड काल निविदा सूचना

कार्यालय पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इकाई रीवा में मासिक आधार पर प्रकोष्ठ इकाई रीवा में शासकीय भवन साफ सफाई व्यवस्था हेतु निविदा कार्य संपन्न कराने हेतु ऐजेन्सियो से जिन्हे कम से कम 01 वर्ष का शासकीय कार्यालयों में कार्य का अनुभव हो 01 वर्ष की अवधि के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म तथा उनकी शर्तें दिनांक 19.06.2023 से 28.06.2023 तक, अवकाश दिवस को छोड़कर कार्यालय पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इकाई रीवा से समय 10:30 से 04:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 30.06.2023 के अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा में लिफाफों में जमा किए जा सकेंगे। दिनांक 03.07.2023 को 11:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष निविदा प्रपत्र कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा में खोला जावेगा तथा सफल होने वाले निविदाकर्ताओं की भौतिक सत्यापन निविदा समिति द्वारा किया जायेगा। निविदा फार्म के साथ रूपये 1000/- (रु० एक हजार मात्र) की धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (राष्ट्रीय बैंक का) संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के संबंध में महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल, म0प्र0 का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

नोट : उक्त निविदा की पूर्ण जानकारी www.dpradvt.mpinfo.org वा www.eow.mp.gov.in पर देखी जा सकती है।

पुलिस अधीक्षक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा

प्रतिदिन संपादित करने वाले कार्य

1. इकाई कार्यालय के भवन की तीनों मंजिलों से छत तक सभी अधिकारी एवं कार्यालय कक्ष गलियारे, समस्त शौचालय, बरामदे, थूकदान, डस्टबिन, स्कूटर, कार, गैरिज स्टोर, रिकार्ड शाखा एवं कार्यालय प्रांगण की सफाई एवं फिनाईल पौंछा।
2. तीसरी मंजिल से आधार तक शौचालय की सफाई।
3. वरिष्ठ अधिकारियों के कक्षों में लगे कारपेट एवं टाईल्स, मारबल की सफाई प्रतिदिन पौंछा लगाकर।
4. वरिष्ठ अधिकारियों के कक्षों के बाथरूम फर्श की सफाई प्रतिदिन पौंछा इत्यादि।
5. बरामदों सीढ़ियों, गलियारों में प्रतिदिन झाड़ु एवं पौंछा।
6. सीढ़ी में झाड़ू पौंछा, दीवारों पर निशान इत्यादि की नियमित सफाई प्रतिदिन।
7. छत पर लगी पानी की तीन टंकियों की पूर्ण रूप से माह में एक बार सफाई।
8. कार्यालय में लगे वाटर कूलर्स की सफाई भी माह में एक बार सफाई।
9. महीने के प्रत्येक अवकाश दिनों में फर्श एवं सीढ़ियों की धुलाई।
10. इसके अतिरिक्त कार्यालय के अंदर बाहर पान, तम्बाखू के दाग एवं अन्य प्रकार की गंदगी की सफाई संबंधित कार्य तत्काल आवश्यकतानुसार करना होगा।

निविदा की शर्तें

1. सफाई कर्मी ब्यूरो कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 8 बजे सफाई कार्य हेतु उपस्थित होंगे, सफाई का कार्य संपादित करेंगे।
2. ठेकेदार द्वारा कार्यालय भवन की तीनों मंजिलों बेसमेंट एवं प्रांगण की संतोषजनक ढंग से प्रतिदिन साफसफाई की व्यवस्था करनी होगी। शासकीय अवकाश के दिन भी साफ सफाई करायी जावेगी।
3. ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह साफ सफाई कार्य से संबंधित देयक प्रस्तुत करेंगे जो कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित होगा।
4. साफ—सफाई में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की पूर्व लिखित सूचना के व्यक्तिगत जानकारियों सहित देना अनिवार्य होगा, कोई भी कर्मचारी संदेहास्पद चरित्र व आचरण का नहीं होना चाहिये।
5. साफ सफाई कार्य में लगाये गये कर्मचारियों की इकाई में आने व जाने के समय चैकिंग सुरक्षा में लगे कर्मचारियों के द्वारा किसी भी समय की जावेगी।
6. साफ—सफाई हेतु लगाये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पत्र कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन विभाग द्वारा किया जावेगा।
7. ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को इकाई कार्यालय में आने — जाने का प्रवेश पत्र प्रदाय किया जाने उपरांत ही ब्यूरो कार्यालय की सफाई कार्य हेतु प्रवेश दिया जावेगा।
8. इकाई कार्यालय की रद्दी प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारी से जांच कराने के उपरांत ही स्टोर शाखा में बोरे में भरवाकर हेड मोहर्रिंग के साथ उचित व्यवस्था करनी होगी।
9. ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों से अन्य सफाई कार्य के साथा कार्यालय में सभी फर्नीचर एवं स्थापित उपकरण की प्रतिदिन विधिवत साफ—सफाई करायी जावेगी।
10. ठेकेदार द्वारा ही साफ—सफाई हेतु सामग्री जैसे कमरों में इस्तेमाल होने वाली फिनाइल, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली फिनाइल, झाड़ू, पोंछा इत्यादि उपलब्ध कराई जावे।
11. इकाई कार्यालय की उचित सफाई न होने पर गंदगी रहने पर किसी अधिकारी से शिकायत होने पर निरीक्षण में लापरवाही/अनियमिततायें पाये जाने की स्थिति में ₹500/- प्रतिदिन पेनाल्टी की जा सकेगी, जिसका कटौत्रा मासिक देयक में से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्यनतम सफाई कर्मियों की कम होने की स्थिति में उसी अनुपात में देयक पेनाल्टी स्वरूप कटौत्रा किया जावेगा।
12. इकाई कार्यालय द्वारा बेहतर साफ—सफाई हेतु जारी समय—समय पर आदेश/निर्देश/शर्तों का पालन करना पड़ेगा।

13. दोनों पक्षों में कोई भी एक पक्ष एक माह पूर्व नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकता है।
14. यह ठेका प्रारंभ से तीन माह की समयावधि में होगा। तदापरांत कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ठेका अवधि एक वर्ष लगातार जारी रखी जावेगी।
15. दोनों पक्ष सहमत होने पर यह अवधि एक बार में एक वर्ष एवं अधिकतम दो बार के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
16. ठेकेदार द्वारा साफ-सफाई कर्मियों के ड्रेस कोड निर्धारित किये जावें ताकि इकाई कार्यालय द्वारा साफ-सफाई कर्मियों की पहचान की जा सके।
17. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर जी.एस.टी. सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।